

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर


कार्यालय-आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा-मा/सी-7/हिन्दी/स्थानान्तरण/2019 दिनांक-29.09.2019 के तहत श्री रमेश चन्द मीणा, व्याख्याता (हिन्दी), राउमावि, उंचा-जहाजपुर, भीलवाडा का स्थानान्तरण राउमावि, बरेट आनन्दपुरी जिला बांसवाडा किया गया। श्री रमेश चन्द मीणा ने इस स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या-4056/2019 श्री रमेश चन्द मीणा बनाम सरकार एवं अन्य दायर की गई।

अपील संख्या-4056/2019 में माननीय अधिकरण द्वारा पारित निर्णय दिनांक-06.01.2020 द्वारा अपीलार्थी श्री रमेश चन्द मीणा को प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपनी वेदना व्यक्त करते हुए एक अभ्यावेदन पेश किये जाने की स्थिति में इसे विधि अनुसार एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) द्वारा निस्तारित किये जाने संबंधी आदेश दिए।

माननीय अधिकरण के निर्णय के क्रम में अपीलार्थी श्री रमेश चन्द मीणा द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर 19 वर्षीय पुत्री 47 प्रतिशत मानसिक विकसित होने के कारण चिकित्सालय में ईलाज चलने, पत्नी अध्यापिका पद पर भीलवाडा में ही कार्यरत होने, माता पिता वृद्ध और मधुमेह रोग से पीड़ित होने तथा स्थानान्तरित पदस्थापन स्थान 480 किमी दूर होने के कारण अपना पदस्थापन 1-राउमावि, उंचा-जहाजपुर, भीलवाडा, 2-राउमावि, लुहारी कलां-जहाजपुर, भीलवाडा, 3-राउमावि, दूनी-देवली, टोंक में करने हेतु परिवेदना प्रस्तुत की है।

माननीय अधिकरण के निर्णय के क्रम में अपीलार्थी से प्राप्त संबंधित अभिलेखों का परीक्षण कर उनकी मांग पर विचार किया गया। अपीलार्थी की प्रतिकूल परिस्थितियों को देखते हुए इनका पदस्थापन/समायोजन राउमावि, उंचा-जहाजपुर, भीलवाडा में व्याख्याता (हिन्दी) के रिक्त पद पर किया जाकर अभ्यावेदन का निस्तारण किया जाता है। सभी संबंधित पक्षकार सूचित हो।



(हिमांशु गुप्ता)


आई.एस.एस.
निदेशक

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/माध्य/संस्था/सी-7/हिन्दी/स्था.को.के./रमेशचन्द मीणा/4056/2019/दिनांक-06/01/2020

➤ प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग जयपुर।
2. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा।
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) स्कूल शिक्षा।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा, बांसवाडा/भीलवाडा
5. जि.शि.अ. (माध्य-विधि) जयपुर।
6. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
7. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
8. संबंधित प्रधानाचार्य-
9. संबंधित कार्मिक-
10. गार्ड फंजिका।



संयुक्त-निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर